B-344
L-10
I. Polity.

उपाधियों पर प्रतिबंध अनु०-18

- अनुच्छेद-18 में यह उल्लेखित है राज्य द्वारा कोई उपाधि नही दी जायेगी। और भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि नही लेगा।
- कोई विदेशी नागरिक राज्य के अन्तर्गत लाभ के पद पर है अथवा राज्य के अन्तर्गत संचालित किसी ट्रस्ट में कार्य कर रहा है राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि नही लेगा।

उपाधियों पर अपवाद :-

- अनुच्छेद-18 के खण्ड (1) में यह उल्लेखित है कि राज्य के द्वारा शैक्षिक अथवा सैनिक उपाधियाँ दी जा सकती हैं।

उपाधियों पर विवाद :-

- संघ सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार किये गए जिन पर विपक्षी दलों के द्वारा अपत्ति व्यक्त की गई और उन्होंने इसे समानता और समाजवाद के सिद्धांतों के विरुद्ध माना।
- वर्ष 1977 में पहली बार जनता पार्टी सरकार

Scanned by CamScanner

को सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ और सरकार ने इन उपाधियों का वितरण बन्द कर दिया।

• 1980 में इंदिरा गांधी ने इन उपाधियों को पुनः आरम्भ कर दिया।

न्यायपालिका का दृष्टिकोण :-

• न्यायपालिका में उपाधियों पर विद्यमान विवादों को हल करते हुए कहा (बाला जी राघवन "1995)-

(i) उपाधियों और पुरस्कार में अन्तर है।

(ii) भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार हैं उपाधियाँ नहीं, इसलिए ये समानता के विरुद्ध नहीं हैं।

(iii) समानता और कुशलता एक दूसरे के पूरक हैं और मूल कर्तव्य के भाग में यह लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।

(iv) न्यायालय ने यह भी कहा कि इन पुरस्कारों को प्रदान करना संवैधानिक है लेकिन इनका प्रयोग नाम के आगे और पीछे नहीं करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

स्वतंत्रता (freedom)

अनुच्छेद - 19 (1)

(a) वाक् / अभिव्यक्ति
(b) शान्तिपूर्ण सम्मेलन (बिना हथियारों के)
(c) समूह (Union) संघ, सहकारी
(d) भारत के क्षेत्र में अबाध आवागमन का अधिकार
(e) भारत के क्षेत्र में निवास / बसने का अधिकार
(f) सम्पत्ति अर्जित, विक्रय का अधिकार (हिमाचल को छोड़ कर)
(g) व्यापार, आजीविका, वाणिज्य, व्यवसाय

प्रतिबन्ध -
अनुच्छेद 19(2) से (6) तक

(i) राष्ट्र की सम्प्रभुता, अखण्डता, लोकव्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रतापूर्ण संबंध, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, अपराध को बढ़ावा देना, सदाचार और नैतिकता।

व्यक्ति और राज्य के बीच समन्वय की चुनौती :-

- मूल अधिकार, संविधान के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं
- स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है जैसा कि अमेरिकी संविधान में।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

- भाग 3 में ही अनु० 19(2)-(6) तक के बीच में संविधान में ही प्रतिबंध उल्लेखित कर दिये गए हैं।
- इन्ही आधारों पर संसद विधि का निर्माण करती है और स्वतंत्रता को सीमित करती है।
- संसद के द्वारा निर्मित विधि स्वतंत्रता को समाप्त न करे इसके लिए किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने से मना नही कर सकता अपितु यह विचार करता है कि राज्य के द्वारा आरोपित प्रतिबंध तार्किक होना चाहिए मनमाना नही।
- सामान्यत: राष्ट्र की सम्प्रभुता और अखंडता के नाम पर सरकार की आलोचना को दबाने का प्रयास किया जाता है जबकि नागरिक को सरकार के किसी कार्य से असहमति रखने का अधिकार है और उसके विरुद्ध अपने मत व्यक्त का भी अधिकार है।

तार्किक प्रतिबंध :- युक्तियुक्त प्रतिबंध

- संविधान में यह उल्लेखित है कि स्वतंत्रता पर आरोपित प्रतिबंध तार्किक होना चाहिए।

Scanned by CamScanner

लेकिन तार्किकता का कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ नहीं है अपितु किसी प्रतिबंध के तार्किक या अतार्किक होने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं-

(a) अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है?

(b) प्रतिबंध का आधार क्या है

(c) प्रतिबंध की प्रकृति और मात्रा कितनी है।

यदि फिल्म अभिव्यक्ति का माध्यम है तो उसका प्रभाव आम जन मानस पर अधिक होता है क्योंकि फिल्म के प्रदर्शन का तरीका अत्यधिक विशिष्ट होता है। क्योंकि फिल्म अंधेरे कमरे में प्रदर्शित की जाती है जबकि किसी किताब का जन मानस पर प्रभाव कम होता है।

- किसी किताब को प्रतिबंधित करने के लिए न्यायालय उदारवादी दृष्टिकोण अपनाता है जबकि फिल्मों पर प्रतिबंध आरोपित करने में न्यायालय का दृष्टिकोण थोड़ा कठोर होता है।

Scanned by CamScanner